न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर

अपील संख्याः 22/2018

राधेश्याम पुत्र जन्सी मीना उम्र 65 वर्ष जाति मीना निवासी ग्राम नांगलबेला तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

...अपीलार्थी

बनाम

1. लक्ष्मी देवी पत्नि जगदीश मीना निवासी ग्राम बाढरसूलपुरा तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जमवारामगढ, जिला जयपुर।

...रेस्पाडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय तहसीलदार जमवारामगढ जयपुर के आदेश दिनांक 30.11.2017 मु0न0 06/2017 बउनवानी लक्ष्मी देवी बनाम राधेश्याम में पारित निर्णय के विरूद्व है।

उपस्थितः–

1. श्री रामकरण शर्मा अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।
2. श्री भगवान सहाय शर्मा अधिवक्ता रेस्पा0 संख्या–एक की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 27.06.2018

अपीलांट ने यह अपील तहसीलदार, जमवारामगढ के निर्णय दिनांक 30.11.2017 जिससे रेस्पाडेन्ट संख्या–1 लक्ष्मी देवी पत्नि जगदीश जाति मीना द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 (बी) को स्वीकार किया जाकर रेस्पाडेन्ट संख्या 1 की ग्राम बाढरसूलपुरा तहसील जमवारामगढ स्थित खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 38 रकबा 1.03 है0 व खसरा नंबर 37 रकबा 0.07 एवं खसरा नंबर 41 रकबा 0.67 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.77 हैक्टेयर पर अपीलांट्स को अतिकमी घोषित कर भूमि से बेदखल करने के आदेश दिये गये, से असंतुष्ट होकर दिनांक 26.04.2018 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की है। अपील अपीलांट प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिस रेस्पाडेन्ट जारी करने तथा मूल मिसल अधीनस्थ न्यायालय तलब करने के आदेश दिये गये। नोटिस जारी करने पर रेस्पाडेन्ट संख्या–1 की ओर से अधिवक्ता श्री भगवान सहाय शर्मा उपस्थित। रेस्पाडेन्ट संख्या–2 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित। अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त होने पर शामिल मिसल की गई तथा पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। पत्रावली पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने दौराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, जमवारामगढ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.11.2017 विधि विधान एवं पत्रावली तथ्यों के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है। रेस्पाडेन्ट संख्या 1 का मूल प्रार्थना पत्र संख्या 06/2017 अपीलांट्स एवं रेस्पाडेन्ट्स दोनो की जाति मीणा (अनुसूचित जनजाति) होने से क्षेत्राधिकार के बाहर

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

Scanned by CamScanner

होने से मेन्टेनेबल नहीं है। प्रकरण में तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा बिना अपीलांट को सुने दिनांक 11.02.2017 को एकतरफा निर्णय पारित किया गया। जिसकी अपील अपीलांट ने माननीय न्यायालय के समक्ष की जिसमें न्यायालय हाजा द्वारा अपील रिमाण्ड कर तहसीलदार जमवारामगढ को प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु प्रेषित किया। इसके उपरान्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुनः दर्ज कर नोटिस पक्षकारान जारी किये गये जिसमें अपीलान्ट ने दिनांक 15.11.2017 को अपना जवाब प्रस्तुत किया तथा प्रकरण में साक्ष्य हेतु आगामी पेशी दिनांक 30.11.2017 निहित की गयी। उक्त प्रकरण में तहसीलदार महोदय ने बिना अपीलाण्ट को सुने बिना साक्ष्य व बहस के प्रकरण निरतारण कर दिया तथा पुनः पटवारी रिपोर्ट लिये बना एवं प्रार्थी की ओर से किसी प्रकार की कोई भी साक्ष्य पेश नहीं की जबकि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया था कि रेस्पाडेंट संख्या 1 का विवादित भूमि पर कब्जा नहीं है। अपीलांट विवादित भूमि का खरीदशुदा खातेदार है जिसके राजस्व नक्शे में रकबे से कम भूमि की हुयी है जिसका नाजायज फायदा प्रार्थीया उठा रहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना कोई जांच किये अपीलांट को साक्ष्य, सबूत का अवसर दिये निर्णय पारित किया गया है। रेस्पाडेंट संख्या एक द्वारा विवादित भूमि का गलत आवंटन करवाया गया है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 15.11.2017 को जवाब पेश किया एवं अन्य जवाब पेश करने हेतु अतिरिक्त समय चाहा है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना अपीलांट के जवाब पर गौर किए एकतरफा निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाकर न्यायालय तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा मु0न0 06/2017 बउनवानी लक्ष्मी देवी बनाम राधेश्याम में पारित निर्णय दिनांक 30.11.2017 को निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान करें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पाडेन्ट संख्या 1 ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत एवं नियमानुसार ही न्यायिक प्रक्रिया अपनाते हुए पारित किया है। माननीय न्यायालय हाजा द्वारा प्रकरण रिमाण्ड किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा नियमानुसार पक्षकारान को नोटिस दिये गये एवं अपीलांट उपस्थित हुए एवं इन्हें जवाब हेतु अन्तिम अवसर दिया गया। जिसके उपरान्त अपीलांट ने 15.11.2017 को जवाब दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनो पक्षो को सुनकर ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट द्वारा अपील मियाद बाहर पेश की गई है। अपील अपीलांट खारिज की जावे। वकील रेस्पाडेन्ट द्वारा अपने कथन के समर्थन में न्यायिक दृष्टान आर.आर.डी. 1990 पेज 445, आर.आर.टी. 2009 (2) 1414, पेज 445, आर.आर.टी. 2017 (1) 117, आर.बी.जे. 2001 पेज 432, आर.आर.डी. 1984 पेज 261, आर.आर.डी 1995 पेज 2016 पेश किये।

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

Scanned by CamScanner

विद्वान पैरोकार सरकार की दलील है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत एवं नियमानुसार ही पारित किया है। तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा नियमानुसार नोटिस जारी कर पक्षकारान की सुनवाई कर ही आदेश पारित किया है। अपील खारिज की जावे।

विद्‌वान उभय पक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। पत्रावली का मय अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल पत्रावली के आद्योपान्त अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। प्रकरण में न्यायालय हाजा में विचाराधीन प्रकरण अपील संख्या 40/17 बउनवानी राधेश्याम बनाम लक्ष्मी निर्णय दिनांक 14.07.2017 अनुसार प्रकरण तहसीलदार जमवारामगढ को प्रतिप्रेषित किया गया। जिसकी पालना में तहसीलदार जमवारामगढ प्रकरण पुनः दर्ज कर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.11.2017 पारित किया है। वकील अपीलांट का मुख्य कथन है कि अपीलांट को साक्ष्य, सबूत पेश करने का अवसर नहीं दिया गया। जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा विधिवत दोनो पक्षकारानों को नोटिस जारी किये गये। दिनांक 20.09.2017 को दोनो पक्षकारान उपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को साक्ष्य, सबूत पेश करने का अवसर दिया गया। अपीलांट द्वारा दिनांक 15.11.2017 को जवाब पेश किये जाने के उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 30.11.2017 को निर्णय पारित किया गया है। विवदित भूमि की रेस्पाडेंट संख्या एक की खातेदारी भूमि है जिस पर पटवारी हल्का एवं सर्किल गिरदावर द्वारा पैमाईश की जा चुकी है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को रेस्पाडेंट संख्या 1 की खातेदारी भूमि पर अतिकमी मानकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। वकील अपीलांट ने ऐसा कोई साक्ष्य/सबूत/दस्तावेज पेश नहीं किए जिससे ये स्पष्ट हो कि अपीलांट द्वारा विवादित भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया हो तथा रेस्पाडेंट संख्या 1 विवादित भूमि पर कब्जे काश्त नहीं है। अतः अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जमवारामगढ का निर्णय विधिसम्मत एवं न्यायोचित है।

फलस्वरूप अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, जमवारामगढ द्वारा मु0 न0 06/17 उनवानी लक्ष्मी देवी बनाम राधेश्याम में पारित निर्णय दिनांक 30.11.2017 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की मिसल लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.06.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ. मोहन लाल यादव)
अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अति.कलक्टर-प्रथम
कलक्टर, जयपुर

Scanned by CamScanner